फर्द अहकाम

नाम न्यायालयः- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, ब

ग्राम सेवा संघ श्री ठाकुर जी बनाम राज्य सरकार

प्रकरण संख्या		आज्ञा विस्तृत रूप से
क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	29/7/22	पत्रावली आज वास्ते आदेश हेतु पेश हुई वकील उभयपक्षों से प्रा० पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी पर पूर्व पेशी दिनांक 7/7/22 को बहस सुनी जा चुकी है. प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के द्वारा प्रा० पत्र आदेश 7 नियम 11 C.P.C का पेश कर प्रार्थना पत्र व वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि वाद ग्रस्त आराजी खसरा नं० 226, 392, 393, 394 395, 396, 397, 398, 399, कुल किता 9 कुल रकबा 2.3400 हेक्टेयर वाके ग्राम हिंगोनिया परवार हलका मुख्यालय भू. अ. नि. पटवार कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर मे स्थित है जिसको उनके वर्तमान पुजारीगण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी विराजमान ग्राम हिंगोनिया की ओर से काश्त करते है. भूमि से होने वाली पैदावार आय से ही माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी के भोग एंव सेवा पुजा की व्यवस्था करते है वाद प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियो के द्वारा वाद पत्र मे वादीगण बनके वाद पत्र प्रस्तुत किया है जबकि समस्त व्यक्ती कभी भी मन्दिर ठाकुर जी के पुजारी नही रहे है. एंव ना ही इनके द्वारा कभी भी मन्दिर की सेवा पुजा व भोग की व्यवस्था की गई है और नाही ही कभी माफी मन्दिर की भूमि पर

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

काश्त की है एवं इन सभी व्यक्तियों ने
एक नाजायज गिरोह बना रखा है तथा ठाकुर
जी की सेवा पूजा मे बाधा डाल रहे है एवं उक्त
वाद ग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते
है तथा विधिक पुजारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4
को जबरन बेदखल करना चाहते है व यह व्यक्ति
मन्दिर के हितैषी नही है व मन्दिर के हितो के
विपरित कार्य करते रहे है इस कारण उक्त
वादीगणो को वाद पत्र पेश करने का कानूनन
हक नही है एवं वादीगण का उक्त वाद पत्र विधि
द्वारा वर्जित है व माननीय न्यायालय के द्वारा
खारिज किये जाने योग्य है वादीगण को सक्षम
न्यायालय के द्वारा पुजारीगण घोषित नही किया
गया है और नाही किसी सक्षम न्यायालय से मन्दिर
का सेवा पूजा व भोग इत्यादी का हक दिया गया
है एवं नाही उक्त वादग्रस्त आराजी की काश्त
करने हेतु कोई अधिकार सक्षम न्यायालय के
द्वारा दिया गया है एवं वादीगण का वाद पत्र धारा
183 आर-टी- एक्ट 1955 के प्रावधानो की परिधि
मे भी नही आता है इस कारण विधि द्वारा वर्जित
है वादीगण के द्वारा उक्त वाद पत्र मे आदेशात्मक
निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है जिसे प्राप्त करने
का वादीगण कानूनन अधिकारी नही है एवं माननीय
राजस्व न्यायालय को आदेशात्मक निषेधाज्ञा
प्रदान करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है
इस कारण वादीगण का वाद धारा 207 आर-टी-एक्ट
1955 के प्रावधानो के तहत विधि द्वारा वर्जित
है. एवं वादीगण उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने

26

उप खण्ड अधिकारी

आज्ञा ... ताही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है एंव वादीगण के द्वारा दिनांक 15/7/2021 व दिनांक 24/8/21 को झूठी एंव काल्पनिक धारणाओं का उल्लेख वाद पत्र मे किया है इस कारण वादीगण का वाद पत्र सारहीन होने से प्रा०पत्र आदेश 7 नियम 11 C.P.C को स्वीकार न्यायहित मे किया जाकर वादी का वाद खारिज किये जाने की प्रार्थना न्यायालय हाजा से की। वादीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 C.P.C का जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को खण्डित करते हुए कथन किया कि वादीगण उक्त भूमि के संबंध मे कानूनन वाद करने के अधिकारी है। कानूनन सार्वजनिक सम्पत्ति व माजी मन्दिर की भूमि के संबंध मे श्री ठाकुरजी हक व हकुको की रक्षार्थ कोई भी व्यक्ती न्यायालय मे वाद व कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार रखता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 मन्दिर के पुजारी अवश्य है किन्तु परन्तु उनको माफी मन्दिर की भूमि को खुर्द बुर्द करने एंव पुख्ता निर्माण करने का कोई अधिकार नही है एंव वादीगण के द्वारा कृषि भूमि के संबंध मे वाद प्रस्तुत किया है तथा कृषि भूमि मे गैर तरीके से किये गये निर्माण को नष्ट करने हेतु अज्ञापक चाहा है तथा आदेशात्मक निषेधाज्ञा की डिक्री राजस्व न्यायालय द्वारा ही पारित की जा सकती है एव वादीगण आम जनता	

(हस्ताक्षर)
उप खण्ड अधिकारी

बनाम

या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	ने दिनांक 15/7/21 व दिनांक 25/8/21 को अवैध निर्माण करने की शिकायत सक्षम अधिकारियों को कि है. उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही करने के कारण व वाद कारण उत्पन्न होने के कारण न्यायालय हाजा मे वाद पेश किया है जो काबिल चलने योग्य है. तथा पुजारी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को कृषि भूमि को अकृषि भूमि मे परिवर्तन करने का अधिकार नही है व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 C.P.C को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना न्यायालय से कि! न्यायालय हाजा के ~~...~~ द्वारा वकील उभयपक्षों ~~...~~ की बहस का सावधानी पुर्वक अवलोकन किया गया व बगौर मनन किया गया तथा वाद पत्र एंव वाद पत्र पर मौजूद दस्तावेजो का सावधानी पुर्वक अवलोकन किये जाने पश्चात हम पाते है, वादीगण के द्वारा उक्त वाद ग्रस्त आराजी का जो वाद पत्र पेश किया गया है उसके वादीगण राजस्व रिकार्ड मे खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड नही है। एंव नाही वादीगणो को किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा मन्दिर ठाकुरजी की सेवा पुजा एंव भोग के लिए अधिकृत किया गया है! एंव नाही वादपत्र मे वर्णित वादग्रस्त आराजी पर काश्त करने हेतु वादीगणो	

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

फर्द अहकाम

नाम न्यायालयः- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

.... बनाम ....

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	को किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा अधिकृत किया गया हो। तथा वादीगण के द्वारा अपने जवाब एवं बहस मे यह माना है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 ही मन्दिर के लिखित पुजारी है. तथा मन्दिर मे विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज की सेवा पूजा करते है। व वादीगण के द्वारा चाहा गया अनुतोष इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे भी नही है. एवं वादीगण को वाद कारण बाबत वादपत्र प्रस्तुत करने का भी किसी भी प्रकार से उत्पन्न होना सिद्ध नही होता है। वादी का वाद विधी द्वारा वर्जित है उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 C.P.C को स्वीकार किया जाता है व वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली पर अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होने पर दाखिल दफ्तर हो. निर्णय आज दिनांक 29/7/22 को खुले न्यायालय एवं बरइजलास सुनाया गया (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	